न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 50 / 2022

1 रतिराम पुत्र रामस्वरूप
2 प्रमोद पुत्र रामस्वरूप
जाति समस्त खाती निवासीगण अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 कपूरचन्द पुत्र फुलचन्द
2 प्रवीण कुमार पुत्र फुलचन्द
3 इन्द्रपाल पुत्र फुलचन्द
4 मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र
जाति समस्त खाती निवासीगण अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
6 मन्जु देवी पुत्री रामस्वरूप
7 मणी पुत्री रामस्वरूप
8 धुपली देवी पुत्री रामस्वरूप
9 किरण देवी पुत्री रामस्वरूप
10 रेखा देवी पुत्री रामस्वरूप
जाति समस्त खाती निवासीगण अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू, प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा उनवानी रतिराम वगै. बनाम
कपूरचन्द वगै. मु.नं. 84 / 2020 निर्णय दिनांक 30.03.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशोर जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.032022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1442/350, 1536/351, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 349, 350 वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील वादिगण अपीलांट 1 व 2 की ओर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को जमीन जैर बहस का खातेदार मानने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 जमीन जैर बहस के खातेदार काश्तकार नहीं है और ना ही राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज रही है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के जवाब को नजरअंदाज किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने यह जवाबदेही की है कि उनके कब्जे की जमीन गै.मु. पहाड़ की जमीन है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने उक्त रेस्पोडेन्टस को तथाकथित निर्माणाधीन गेट को पूर्ण करने की अनुमति देकर कानूनी गलती की है। कानून से गै.मु. पहाड़ की भूमि पर भी किसी को अतिक्रमण की इजाजत नहीं दी जा सकती। जमीन खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 हैक्टेयर के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 अथवा उनके पूर्वज खातेदार काश्तकार नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है ना रहे है। उक्त आराजी अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 10 की खातेदारी की है। ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को निर्माण की इजाजत दिया जाना कानूनन गलत है। तहसीलदार (रेस्पोडेन्ट संख्या 5) की तरफ से यह रिपोर्ट की गई है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के शेष मकान व बाड़ा खसरा न म्बर 351 गै.मु. पहाड़ में स्थित है और कुछ हिस्सा अपीलान्टस की सहखातेदारी की जमीन में बताया गया है। इस प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट से यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की हैसियत अतिक्रमी की है और कानून से अतिक्रमी को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने कानून को नजरअंदाज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की तथाकथित रहवास मकानों की सुरक्षा हेतु पूर्व से निर्माणाधीन गेट से पूर्ण करने की अनुमति देकर तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस में तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट की व्याख्या गलत की है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या गलत की है। जमीन का सुधार केवल खातेदार ही कर सकता है। अतिक्रमी को इजाजत नहीं होती। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 विवादित जमीन के खातेदार नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड को नजरअंदाज कर मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान्टस ने प्राईमा फेशी केस, सुविधा का संतुलन व अपारक्षति का बिन्दु अपनी प्लींडिग व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 10 जमीन जैर बहस के सहखातेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की हैसियत अतिक्रमी की है। अपील अपीलांटस मंजूर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 6 से 10 के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने का आदेश दिया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 के आवेदन में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थीगण के आवेदन पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में रहवास मकानों की सुरक्षा हेतु पूर्व से निर्माणाधीन गेट को पूर्ण करने की अनुमति दी है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी है। विचाराधीन निर्णय में विचारण न्यायालय ने शेष अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को यथावत रखा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

है। धारा 212 का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। धारा 212 के अंतिम निस्तारण से पूर्व अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 के आवेदन में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थीगण के आवेदन पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में रहवास मकानों की सुरक्षा हेतु पूर्व से निर्माणाधीन गेट को पूर्ण करने की अनुमति दी है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी है। विचाराधीन निर्णय में विचारण न्यायालय ने शेष अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को यथावत रखा है। धारा 212 का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। धारा 212 के अंतिम निस्तारण से पूर्व अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। न्यायहित में विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी एक माह में उनके समक्ष लंबित आवेदन धारा 212 का अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 6/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर